



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि एवं ०२ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की मोटर चोरी कर ले जाते हुए पकड़े जाने के संबंध में दिनांक ०१.०९.२००८ को थाना बिलासपुर पर मु०अ०सं०- १४२५/०८ धारा- ३७९,४११ भादवि बनाम जुल्फेकार पुत्र रूमाल शाह निवासी ज्वालापुर भैंसिया थाना बिलासपुर जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- ०९.१०.२०२४ को मा० न्यायालय CJM, रामपुर द्वारा अभियुक्त जुल्फेकार उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि एवं ०२ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त जुल्फेकार पुत्र रूमाल शाह निवासी ज्वालापुर भैंसिया थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को जेल में बिताई गयी अवधि एवं ०२ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826